

शार. ही. गौणा, सदस्य  
कमला अलारिया, सदस्य

२०/१२/१५

वकील अपीलांट एवं अपीलांट को धार-  
दार, कफ-कफकर आवाजे लगाई गई। कोई  
उपठ नहीं हुआ। वकील सेवकों श्री विरेन्द्र  
सिंह उपठ है। वकील अपीलांट द्वारा मण्डल के  
आदेश क्रमांक ६/१२/२०१६ की धारणा आज  
क्रियांक तक नहीं कि गई। अतः उक्त अपील  
अदम हाजरी, अदम पैरवी, अदम तकमील में  
स्थाविज की जाती है। पत्राचार के लिये शुमार  
होकर नम्बर के कम है।

आदेश अनुयाया गया।

सदस्य

सचिव मण्डल राजस्थान  
जयपुर

सदस्य

सचिव मण्डल राजस्थान  
जयपुर